

## कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान- उदयपुर

क्रमांक:- एफ 1(1)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/19573

दिनांक - 17-10-19

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक,  
इण्डियन रेल्वे कटरींग एण्ड टूरिज्म कॉर्पो.,  
708, 7वां फ्लोर, क्रिस्टल मॉल, सवाई जयसिंह  
हाईवे, बनीपार्क-जयपुर ।

विषय:-वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2019 की द्वितीय ट्रेन संचालन बाबत।  
संदर्भ:-आपका पत्र दिनांक 14-10-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2019 अन्तर्गत आप द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित योजना की द्वितीय ट्रेन दिनांक 15-11-2019 को बीकानेर से रामेश्वरम् के संचालन का अनुमोदन किया जाता है। उक्त ट्रेन के संचालन के संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के क्षेत्र अनुसार यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार रहेगी-

स्टोपेज स्टेशन	सहायक आयुक्त कार्यालय	जिला	यात्रियों की संख्या	कुल योग	संभावित समय
बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	46	116	प्रातः 9 बजे
		चुरु	17		
	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	22		
		श्री गंगानगर	31		
जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	114	394	दोपहर 2:30 बजे
		पाली	33		
		बाड़मेर	24		
		जैसलमेर	2		
	अजमेर	अजमेर	89		
		भीलवाड़ा	90		
		नागौर	42		
सिरोही रोड़	उदयपुर	उदयपुर	125	455	सायं 7 बजे
		राजसमंद	27		
		चित्तौड़गढ़	104		
		प्रतापगढ़	38		
	ऋषभदेव	डूंगरपुर	44		
		बांसवाड़ा	67		
	जोधपुर	सिरोही	36		
		जालौर	14		
	<b>TOTAL</b>				

अतः उक्त ट्रेन संचालन के संदर्भ में आवश्यक तैयारियां रखते हुए MOU अनुसार स्टेशनों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराने का श्रम करावें। उक्त व्यवस्थाओं हेतु MOU अनुसार प्रतियात्री भुगतान देय होगा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।


भवदीय,  
(ओ.पी.जैन)  
कार्य. आयुक्त  
देवस्थान विभाग  
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक:- एफ 1(1)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/15574-92

दिनांक :- 17-10-19

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान-जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान- जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान- जयपुर।
4. जिला कलेक्टर..... को सूचनार्थ।
5. **समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को भेजकर लेख है कि-**
  - A आप अपने क्षेत्र के यात्रियों को उक्त यात्रा हेतु सूचित करेंगे।
  - B यह सुनिश्चित करें कि सूची में जिन मुख्य यात्रियों के साथ सहायक के रूप में महिला सहायक का नाम हो,तो उन्हें यात्रा हेतु अनुमत नहीं किया जावे। ऐसे यात्रियों से आप स्वयं व्यक्तिशः दूरभाष पर सम्पर्क कर अग्रिम रूप से सूचित कर दे।
6. श्री गौतम बेनर्जी, ACP शासन सचिवालय, जयपुर पास आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सूचना सहायक प्रधान कार्यालय को भेज कर लेख है कि उक्तानुसार मूल एवं आरक्षित सूची तैयार करा सहायक आयुक्तों को तत्काल मेल करावें।
8. उपनिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उदयपुर।
9. अति. निजी सचिव, आयुक्त देवस्थान विभाग।

  
कार्य.आयुक्त  
देवस्थान विभाग  
राजस्थान, उदयपुर  
16/10/19